रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 561] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2019/आश्विन 3, 1941
No. 561] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2019/ASVINA 3, 1941

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 686 (अ) .— केंद्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 के 52) की धारा 37 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय शिक्षुता परिषद के साथ परामर्श शिक्षु नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में, --

(i) खंड (1) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(1क) "डिग्री शिक्षु" से पाठयक्रम कर रहा शिक्षु अभिप्रेत है ताकि वह किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा दी गई डिग्री और पाठ्यक्रम के एकीकृत घटक के रूप में शिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर सके ;" ;

(ii) खंड (3) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(3क) "नवागंतुक शिक्षु" से अभिप्रेत है गैर-स्नातक शिक्षु, जो शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण/व्यवहारिक प्रशिक्षण लेने से पहले किसी भी संस्थागत प्रशिक्षण/कौशल प्रशिक्षण से नहीं गुजरा है;"

(iii) खंड (4) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(4क) "राष्ट्रीय या राज्य प्रमाणपत्र धारक होल्डर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद या ऐसे प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राधिकारी अथवा एक वर्ष और उससे अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए किसी अन्य उत्तराधिकारी इकाई द्वारा जारी प्रमाणपत्र धारण करना हो; " ;

(iv) खंड (6) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(6क) " कौशल विकास और उद्यमशीलता क्षेत्रीय निदेशालय " से प्रशिक्षण महानिदेशालय से क्षेत्रीय कार्यालय अभिप्रेत है, जो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है ; " ;

(v) खंड (7) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(7क) "स्कूल पास आउट" एक ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से स्कूली शिक्षा प्राप्त की है ; " ;

“ (7कक) "सेक्टर कौशल परिषद" से एक उद्योग के नेतृत्व वाला संगठन अभिप्रेत है, जो एक राष्ट्रीय-कौशल विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय कौशल अर्हता विरचना या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा तय किए गए किसी अन्य निकाय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित है ; " ;

“ (7ककक) " कौशल प्रमाणपत्र धारक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो राष्ट्रीय कौशल अर्हता विरचना के अधीन मान्यता प्राप्त अधिनिर्णय निकाय या इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी, एक वर्ष से कम के प्रशिक्षण के लिए कौशल प्रमाणपत्र धारण करता है ।"

3. उप-नियम (3) के स्थान पर मूल नियमों के नियम 7क में, -

(i) निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्: -

“ (3) वैकल्पिक व्यापार के लिए शिक्षु प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम छह महीने से अधिकतम तीन वर्ष होगी ; " ;

(ii) उप-नियम (8), उप-नियम (10), उप-नियम (11), उप-नियम (12) और उप-नियम (13) का लोप किया जाएगा;

(iii) उप नियम (17) के पश्चात, निम्नलिखित उप नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(18) (क) किसी स्थापन में शिक्षु प्रशिक्षण से गुजरने वाला प्रत्येक शिक्षु एक प्रशिक्षणार्थी होगा, और कर्मकार नहीं ।

(ख) श्रम के संबंध में किसी भी विधि के उपबंध इस तरह के शिक्षु के संबंध में लागू नहीं होंगे। "

4. मूल नियमों के नियम 7 ख में,

(i) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

“ (1) केवल चार या अधिक कर्मचारी वाले नियोक्ता शिक्षुओं के नियोजन के लिए पात्र होंगे और तीस या अधिक संख्या कर्मकार वाले स्थापनों द्वारा शिक्षुओं का नियोजन आज्ञापक। " ;

(ii) उप-नियम (3) और (4) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्: -

“(3) एक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक स्थापन संविदात्मक कर्मचारिवृंदों सहित, स्थापना की कुल जनशक्ति के, 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक के बैंड में शिक्षुओं को लगाएगा। । नवागंतुक शिक्षुओं और कौशल प्रमाणपत्र धारक शिक्षुओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले न्यूनतम कुल 5 प्रतिशत के अध्ययधीन रहते हुए ।

(4) किसी भी महीने में शिक्षुओं की संख्या स्थापन की कुल जनशक्ति की 2 प्रतिशत से कम और 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस शर्त के अध्ययधीन रहते हुए कि वह एक वित्तीय वर्ष में आज्ञापक 2.5 प्रतिशत के तत्स्थानी शिक्षु महीनों को पूरा करेगा।

5. मूल नियमों के नियम 11 में,

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम को रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(1) शिक्षुओं को प्रतिमाह देय वृत्तिका की न्यूनतम दर पाठ्यक्रम में नियत अर्हता के अनुसार होगी। शिक्षुओं को प्रति माह देय वृत्तिका की न्यूनतम दर इस प्रकार होगी: अर्थात्: -

क्रम संख्या	श्रेणी	न्यूनतम वृत्तिका की निर्धारित रकम
(1)	(2)	(3)
(i)	स्कूल पास-आउट(कक्षा 5वीं –कक्षा 9वीं)	₹ 5000 प्रति माह
(ii)	स्कूल पास-आऊट (कक्षा 10वीं)	₹ 6000 प्रति माह
(iii)	स्कूल पास-आउट (कक्षा 12वीं)	₹ 7000 प्रति माह
(iv)	राष्ट्रीय या राज्य प्रमाणपत्र धारक	₹ 7000 प्रति माह
(v)	तकनीशियन(व्यावसायिक)शिक्षु या व्यावसायिक प्रमाणपत्र धारक या सैंडविच पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थाओं से छात्र)	₹ 7000 प्रति माह
(vi)	तकनीशियन शिक्षु या किसी भी स्ट्रीम में डिप्लोमा धारक या सैंडविच पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थाओं से छात्र)	₹ 8000 प्रति माह
(vii)	किसी भी स्ट्रीम में स्नातक, स्नातक शिक्षु या डिग्री शिक्षु	₹ 9000 प्रति माह

(1क) कौशल प्रमाणपत्र धारक के मामले में, प्रति माह देय वृत्तिका उसकी शैक्षिक अर्हता के अनुसार होगी जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

(1कक) शिक्षुता, प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान, विहित न्यूनतम वृत्तिका रकम में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी और शिक्षुता प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के दौरान विहित न्यूनतम वृत्तिका रकम में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

(1ककक) राष्ट्रीय या राज्य प्रमाण पत्र धारक के मामले में, राष्ट्रीय परिषद या राज्य परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या अन्य संस्था में उसके द्वारा पहले से ही प्राप्त की गई प्रशिक्षण की अवधि को वृत्तिका की न्यूनतम भुगतान दर को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(1कककक) नवागुंतक शिक्षु के मामले में, तीन महीने तक की अवधि के लिए आधारिक प्रशिक्षण के दौरान स्थापन द्वारा भुगतान की जाने वाली वृत्तिका रकम विहित वृत्तिका रकम का 50 प्रतिशत होगी। इसके अतिरिक्त, एक साथ बेसिक ट्रेनिंग (बीटी) और ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) के मामले में, वृत्तिका की पूरी रकम का भुगतान किया जाना है।“ ;

(ii) उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।

6. मूल नियमों के, नियम 12 में

(i)उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्: -

“ (2) एक स्थापन अठारह वर्ष और उससे अधिक उम्र के शिक्षुओं को स्थापन के सामान्य कामकाजी घंटों में लगा सकता है। अठारह वर्ष से कम आयु के शिक्षु सुबह 8 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच इस तरह के प्रशिक्षण में शामिल होंगे। किसी मामले में, मामलों के आधार पर, किसी भी छूट को शिक्षुता सलाहकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। “ ;

(ii) उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा ।

7. मूल नियमों की अनुसूची 1 में,

(i), "प्रिंटिंग ग्रुप ऑफ ट्रेड्स - (iv) लिथो ऑफसेट समूह: " से संबंधित है, समूह संख्या 14 के अधीन क्रम संख्या 2 के सामने,

(क) स्तंभ 5 में, प्रविष्टि "1० "लिथो ऑफ़सेट मशीन मांइडर " अंत:स्थापित की जाएगी;

(ख) स्तंभ 6 में, लिथो ऑफसेट मशीन मांइडर से संबंधित मद 1 के सामने प्रविष्टि "एक वर्ष" अंत:स्थापित की जाएगी;

(ii), "लेदर क्राफ्ट्स ट्रेड्स ग्रुप:" से संबंधित समूह संख्या 2 के अधीन क्रम संख्या 2 के सामने,

(क) स्तंभ 5 में प्रविष्टि 5 "सूटकेस और अन्य चमड़े के सामान के निर्माता" के स्थान पर, स्तंभ "1 सूटकेस और अन्य चमड़े के सामान के निर्माता" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ख) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात, प्रविष्टि "2 चमड़े का सामान बनाने वाला " अंत:स्थापित की जाएगी।

(ग) स्तंभ 6 में, चमड़े के माल का निर्माता से संबंधित मद 2 के सामने, प्रविष्टि "एक वर्ष" अंत:स्थापित की जाएगी।

(iii) "चमड़ा शिल्प व्यापार समूह:" से संबंधित समूह संख्या 2 के अधीन, क्रम संख्या 3 के सामने,

(क) स्तंभ 5 में प्रविष्टि "जूते का विनिर्माण" के स्थान पर, प्रविष्टि "1 जूते का विनिर्माता " रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ 6 में, जूते का विनिर्माता से संबंधित मद 1 के सामने, प्रविष्टि "एक वर्ष" रखी जाएगी ;

(ग स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात, प्रविष्टि "2 जूते बनाने वाला" अंत:स्थापित की जाएगी;

(घ) स्तंभ 6 में, फुटवियर निर्माता से संबंधित मद 2 के सामने, प्रविष्टि "एक वर्ष" अंत:स्थापित की जाएगी।

(iv), "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ट्रेड्स ग्रुप लेदरक्राफ्ट्स ट्रेड्स ग्रुप:" से संबंधित समूह संख्या 35 के अधीन है, क्रम संख्या 38 के सामने,

(क) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात, प्रविष्टि "2. कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क तकनीशियन"; अंत:स्थापित की जाएगी ;

(ख) स्तंभ 6 में, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क तकनीशियन से संबंधित मद 2 के सामने , प्रविष्टि "एक वर्ष" अंत:स्थापित की जाएगी।

8. मूल नियमों की, अनुसूचि –V में,

(i), "नियोजक की बाध्यताएं" से संबंधित पैरा 1 के अधीन, मद 5 ख और उससे संबंधित में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात: -

'5ख एक स्थापन अठारह वर्ष और उससे अधिक आयु के शिक्षुओं को स्थापन के सामान्य घंटों के अनुसार काम पर लगा सकता है। अठारह वर्ष से कम आयु के शिक्षु सुबह 8 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच इस तरह के प्रशिक्षण में लगेंगे। मामले के आधार पर शिक्षुता सलाहकार द्वारा इसमें छूट का अनुमोदन किया जाएगा।'

[सं. एमएसडीई-01(02)2019-एपी(पीएमयू)]

के.सी.गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम तारीख 15 जुलाई, 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि० 356, द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तारीख 20 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का. नि० 1525 (अ), द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2019

G.S.R. 686(E).–In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) and after consulting the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely: -

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Apprenticeship Rules, 1992 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2,—

(i) After clause (1), the following clause shall be inserted, namely:–

"(1A) "Degree apprentice" means an apprentice undergoing a course in order that he may hold a degree granted by any recognized institution or university and undergoing apprenticeship training as an integrated component of the curricula;";

(ii) After clause (3), the following clause shall be inserted, namely:–

"(3A) **"**Fresher apprentice" means a non-graduate apprentice, who has not undergone any institutional training or skill training, before taking up on-the-job training or practical training under the Apprentices Act, 1961;";

(iii) After clause (4), the following clause shall be inserted, namely:–

"(4A) "National or State Certificate holder" means a person, who holds a certificate issued by National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training or any authority recognized by Central Government for awarding such certificates or any other successor entity for vocational training of one year and more;";

(iv) After clause (6), the following clause shall be inserted, namely:–

"(6A) **"**Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship" means the regional offices of the Directorate General of Training, which is an attached office of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship;";

(v) After clause (7), the following clauses shall be inserted, namely:–

"(7A) "School pass out" is a person, who has done his or her schooling from a recognized School or Board;";

"(7AA) "Sector Skill Council" means an industry-led organization set up as an autonomous body as provided under National Skills Qualifications Framework by National Skill Development Corporation or any other body as decided by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship;";

"(7AAA) "Skill Certificate holder" means a person, who holds a skill certificate for training of less than one year, issued by an awarding body recognized under National Skills Qualifications Framework or any other authority recognized by the Central government in this regard;";

3. In rule the principal rules, in rule 7A,-

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) The period of apprenticeship training for optional trade shall be a minimum of six months to a maximum of three years;";

(ii) sub-rule (8), sub-rule (10), sub-rule (11), sub-rule (12) and sub-rule (13) shall be omitted;

(iii) after sub-rule (17), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(18) (a) Every apprentice undergoing apprenticeship training in an establishment shall be a trainee and not a worker.

(b) The provisions of any law with respect to labour shall not apply to or in relation to such an apprentice.".

4. In the principal rules, in rule 7B,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The employers having four or more workers shall only be eligible to engage apprentices and engagement of apprentices by establishment having thirty or more number of workers shall be obligatory.";

(ii) for sub-rule (3) and (4), the following sub-rules shall respectively be substituted,namely:-

''(3) Within a financial year, each establishment shall engage apprentices in a band of 2.5 per cent. to 15 per cent. of the total strength of the establishment including contractual staff, subject to a minimum of 5 per cent. of the total to be reserved for fresher apprentices and skill certificate holder apprentices.

(4) In no month, number of apprentices should be less than 2 per cent. of the total strength of the establishment and more than 18 per cent. of the total strength of the establishment subject to the condition that he shall fulfill apprentice months corresponding to minimum 2.5 per cent. obligation in a financial year.''.

5. In the principal rules, in rule 11,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

''(1) The minimum rate of stipend payable to apprentices per month shall be as per the qualifications stipulated in the curriculum. The minimum rate of stipend payable to apprentices per month shall be follows, namely:-

Serial number	Category	Prescribed minimum amount of stipend
(1)	(2)	(3)
(i)	School pass-outs (class 5th - class 9th)	₹ 5000 per month
(ii)	School pass-outs (class 10th)	₹ 6000 per month
(iii)	School pass-outs (class 12th)	₹ 7000 per month
(iv)	National or State Certificate holder	₹ 7000 per month
(v)	Technician (vocational) apprentice or Vocational Certificate holder or Sandwich Course (Students from Diploma Institutions)	₹ 7000 per month
(vi)	Technician apprentices or diploma holder in any stream or sandwich course (students from degree institutions)	₹ 8000 per month
(vii)	Graduate apprentices or degree apprentices or degree in any stream	₹ 9000 per month

(1A) In the case of Skill Certificate Holder, stipend payable per month shall be as per his/her educational qualification as mentioned in the table above.

(1AA) During the second year of apprenticeship training, there shall be an increase of 10 per cent. in the prescribed minimum stipend amount and further 15 per cent. increase in the prescribed minimum stipend amount during the third year of apprenticeship training.

(1AAA) In the case of National or State Certificate holder, the period of training already undergone by him or her in a school or other institution recognized by the National Council or State Council, shall be taken into account for the purpose of determining the minimum payable rate of stipend.

(1AAAA) In the case of Fresher apprentice, during Basic Training for a period up to three months, the stipend amount to be paid by the establishment shall be 50 Per cent. of the prescribed stipend. Further, in case

of simultaneous Basic Training (BT) and On-the-Job Training, full amount of the stipend is to be paid.'';

(ii) sub-rule (2) shall be omitted.

6. In the principal rules, in rule 12,-

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

''(2) An establishment can engage apprentices of age eighteen and above in normal working hours of the establishment. Apprentices under the age of eighteen shall be engaged in such training between the hours of 8.00 am and 6.00 pm. Any relaxation in the same shall be approved by the Apprenticeship Adviser, on case to case basis.";

(ii) sub-rule (3) shall be omitted.

7. In the principal rules, in the Schedule- I,-

(i) Under Group No. 14, relating to the "Printing Group of Trades - (iv.) Litho Offset group:" , against serial numbers 2,

(a) In column 5, the entry "1. Litho Offset Machine Minder" shall be inserted;

(b) In column 6, against item 1 relating to Litho Offset Machine Minder, the entry "One year" shall be inserted.

(ii) Under Group No. 21, relating to the "Leather Crafts Trades Group:" , against serial number 2,

(a) In column 5, in place of the entry "Manufacturer of suitcase and other Leather goods", the entry "1. Manufacturer of suitcase and other Leather goods" shall be substituted.

(b) In column 5, after the existing entry, the entry "2. Leather goods maker" shall be inserted.

(c) In column 6, against item 2 relating to Leather goods maker, the entry "One year" shall be inserted.

(iii) Under Group No. 21, relating to the "Leather Crafts Trades Group:", against serial number 3,

(a) In column 5, in place of the entry "Manufacture of Footwear", the entry "1. Manufacturer of footwear" shall be substituted ;

(b) In column 6, against item 1 relating to Manufacturer of Footwear, the entry "One year" shall be substituted;

(c) In column 5, after the existing entry, the entry "2. Footwear Maker" shall be inserted;

(d) In column 6, against item 2 relating to Footwear Maker, the entry "One year" shall be inserted.

(iv) Under Group No. 35, relating to the "Centre of Excellence Trades Group Leather Crafts Trades Group:", against serial number 38,

(a) In column 5, after the existing entry, the entry "2. Computer Hardware and Network Technician" shall be inserted;

(b) In column 6, against item 2 relating to Computer Hardware and Network Technician, the entry "One year" shall be inserted.

8. In the principal rules, in SCHEDULE-V, –

(i) Under paragraph I, relating to "Obligations of Employer" , for item 5b and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

'5b An establishment can engage apprentices of age eighteen and above in normal working hours of the establishment. Apprentices under the age of eighteen shall be engaged in such training between the hours of 8.00 am and 6.00 pm. Any relaxation in the same shall be approved by the Apprenticeship Adviser, on case to case basis.'

[No.MSDE-01(02)/2019-AP (PMU)]

K. C. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended *vide* notification number G.S.R. 1525(E), dated the 20th December, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.25 20:28:09 +05'30'